न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–12/2010

वादीनी बनाम प्रतिवादी

श्रीमति टीपू पुत्री बस्ताराम पुत्र हेमाजी धर्मपत्नि रूपाराम जाति जाट निवासी बांकियावास हाल चारलाई कल्ला

1.मृतक राणाराम पुत्र हेमाजी के वारिसान
1/1.प्रभूराम पुत्र राणाराम
1/2.जेठाराम पुत्र राणाराम
2.पोकरराम पुत्र हेमाजी
3.गोरधनराम पुत्र हेमाजी
4.हरीराम पुत्र हेमाजी जाति जाट निवासी बांकियावास कला तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर
5.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा
6.मैनेजर एस.बी.बी.जे.शाखा कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीनी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 07/12/2022

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मुतवफी हेमा के वादीनी के पिता बस्ताराम व प्रतिवादी संख्या 1/1,1/2 के पिता राणाराम व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वारिसान है। मुतवफी हेमा की वक्त सेन्टलमेंट खातेदारी भूमि ग्राम थोरियों की ढाणी (नागाणा) की खसरान संख्या 295 व 427 कुल रकबा 51–00 बीधा एवं ग्राम बांकियावास कल्ला तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरान संख्या 13,[illegible],141,146,148,9,10 व 11 कुल रकबा 323–07 बीधा भूमि अवस्थित थी। वादीनी के पिता बस्ताराम का देहान्त स्व.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ना के संयुक्त परिवार में रहतें निर्वसियती हो गया,तत्समय वादीनी अल्प आयु की अवस्यक थी। वादीनी का लालन पोषण वादीनी के दादा हेमा व दादी द्वारा ही किया गया। क्योंकि वादीनी की माता ने वादीनी को,दादा स्व.हेमा के पास छोड़कर अन्यत्र नाता विवाह कर दिया। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण हेमाराम के समस्त वारिसान का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित होने के कारण वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा बनता था। वादीनी का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण हेमा के देहान्त होने पर बस्ताराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने की हैसियत के आधार पर वादीनी यही समझती रही,कि वादग्रस्त भूमि में बस्ताराम के हिस्सेनुसार वादीनी का भी नाम इन्द्राज हो गया है। लेकिन प्रतिवादी की ओर से वादीनी के कब्जा काश्त में दखलदान्जी करने व बेदखल करने की धमकिया देने पर वादीनी की ओर से वाद लाया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीनी की ओर से अपना 1/5 हिस्सा खातेदारी धोषणा व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया।

2.वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री लाधूराम चौधरी की ओर से प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया। वादीनी के वाद तथ्यों को अस्वीकार करतें हुए जबावदावा विशेष आपतियों सहित पेश किया। शेष प्रतिवादी बावजूद सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 04 अधिवक्ता की ओर से बाद में पैरवी नहीं करने की हिदायत करने की फिलीडग करने पर उक्त प्रतिवादी के विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वादीनी के वाद व प्रतिवादी के जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम की गई।

<u>तनकी संख्या 01</u>–आया वादीनी राजस्व ग्राम थो[illegible] के खातेदारी संख्या 295 व 427 कुल रकबा 51 बीधा में 1/5 हिस्से [illegible] के खसरा संख्या 138,139,141,146,148,9,10,11 कुल रकबा 325 [illegible] की खातेदार धोषित होने की अधिकारी है

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:56 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मे–वादीनी

<u>तनकी संख्या 02</u>–आया वादीनी नामान्तकरण संख्या 49 राजस्व ग्राम बांकियावास व ग्राम थोरियों की ढाणी के नामान्तकरण संख्या 254 को निरस्त करवानें के अधिकारी है

जिम्मे–वादीनी

<u>तनकी संख्या 03</u>–आया वादीनी बाद धोषणा,बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवानें एवं स्थाई निधेषाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्व पानें के अधिकारी है

जिम्मे–वादीनी

<u>तनकी संख्या 04</u>–आया वादग्रस्त कृषि भूमियों पैतृक सम्पति नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति है

जिम्मे–प्रतिवादी

<u>तनकी संख्या 05</u>–आया वादग्रस्त कृषि भूमियों का जरियें रजिस्टर्ड एग्रीमेंन्ट के 1972 में बंटवाड़ा कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 कर सुपुर्द कर दिया,अब वादीनी बाद लाने की अधिकारीणी नहीं है

जिम्मे–प्रतिवादी

<u>तनकी संख्या 6</u> दादरसी

4..वादीनी गवाहान साक्ष्य में PW-01 वादीनी स्वंय टीपूदेवी व PW-02 जेठाराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। वादीनी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी. 1–ग्राम थोरियों की ढाणी खसरान संख्या 295 व 427 जमाबंदी संवत 2064 से 2067,ई.एक्स. पी.2 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति,ई.एक्स.पी.3–ग्राम बांकियावस कला की खसरा संख्या 9,148,370/138 जमाबंदी संवत 2063 से 2066, ई.एक्स.पी.4–इसी खसरान की नक्शा ट्रेस प्रति, ई.एक्स.पी.5–इसी ग्राम की खसरा संख्या 11,146,368/138 कुल रकबा 94 बीधा जमाबंदी संवत 2063 से 2066,ई.एक्स.पी.6–इसी खसरान की नक्शा ट्रेस प्रति, ई.एक्स.पी. 7–इसी ग्राम की खसरान संख्या 10,139,141,369/138 कुल रकबा 85–04 बीधा जमांबदी संवत 2063 से 2066, ई.एक्स.पी.8–इसी खसरान की नक्शा ट्रेस प्रति, ई.एक्स.पी.9–इसी ग्राम की खसरान संख्या 265/9 व 367/138 कुल रकबा 53–05 [illegible] संवत 2063 से 2066, ई.एक्स.पी.10–इसी खसरान की नक्श[illegible] का नामान्तकरण संख्या 254 की प्रमाणित प्रति, ई.एक्स.पी.12–ग्राम [illegible]कियावास कल्ला की नामान्तकरण संख्या 49 प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.13–ग्राम बांकियावास कल्ला की जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

.वत 2022 से 2025 तक ई.एक्स.पी.14–ग्राम नागाणा की खेत खसरान संख्या 295,427 प्रदर्शित करवाई गई।

5.प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

06.हमनें वकील वादीनी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में कायम तनकीयात के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

<u>तनकी संख्या 01</u>– आया वादीनी राजस्व ग्राम थोरियों की ढाणी (नागाणा) के खसरा संख्या 295 व 427 कुल रकबा 51 बीधा में 1/5 हिस्सें की एवं ग्राम बांकियावास कल्ला के खसरा संख्या 138,139,141,146,148,9,10,11 कुल रकबा 323–07 बीधा में 1/5 हिस्से की खातेदार धोषित होने की अधिकारी है

जिम्मे–वादीनी

इस तनकी कों सिद्व करने का जिम्मा वादीनी पर है,वादीनी पक्ष की ओर से वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 01 व 2 गवाहान पेश किए और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 से 14 पेश किये। वादीनी स्वंय द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया,वकील प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से वादीनी से लम्बी जिरह की गई,लेकिन यह कहीं साबित नहीं कर पाये कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नहीं होकर मुतवफी हेमाराम की स्वअर्जित भूमि हो। जबकि इसकें विपरीत वादीनी अपनी जिरह में यह साबित कर पाई है,कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। मुतवफी हेमाराम के पांच पुत्र थे,पांच पुत्रों में बस्ताराम की वादीनी पुत्री है। वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा निहित है। वादीनी पक्ष की ओर से स्वतंत्र गवाह जेठाराम के बयानात से भी साबित है कि वादीनी मुतवफी हेमारा[illegible] पुश्तैनी है जिसमें वादीनी का 1/5 हिस्सा बनता है। ई.एक्स[illegible] कि वादग्रस्त भूमि हेमा के नाम आवगी खातेदारी में इन्द्राज [illegible] होने पर फोतगी नामान्तकरण पारित हुआ,लेकिन वादीनी का नाम इन्द्राज नहीं किया गया। ई.एक्स. पी.14 अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। पुश्तैनी भूमि में हेमाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

समस्त वारिसान हक हकूक बनता है। बस्ताराम हेमा की जाईदा संतान थी और हेमा के जीवनकाल में बस्ताराम का देहांत हो गया था। लेकिन हेमा के फोत होने पर फोतगी नामान्तकरण में बस्ताराम के वारिसान वादीनी का वादग्रस्त भूमि में नाम दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन वादीनी को उसके हक हकूक से महरूम रखा गया,जो कि वादीनी वादग्रस्त भूमि में सहखातेदारी घोषित करवानें की हकदार है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवायें जाने से किसी के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ते है,क्योकि वादग्रस्त भूमि पैतृक है,वादीनी हेमाराम की पोत्री है और पैतृक भूमि में वादीनी हक हकूक प्राप्त करने की हकदार है। ई.एक्स.पी.13 अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है,पुश्तैनी भूमि में वादीनी 1/5 हिस्सेनुसार खातेदारी घोषित करवानें की हकदार है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 01 वादीनी सिद्ध करने में सफल रही है।

तनकी संख्या 02–आया वादीनी नामान्तकरण संख्या 49 राजस्व ग्राम बांकियावास व ग्राम धोरियों की ढाणी के नामान्तकरण संख्या 254 को निरस्त करवानें के अधिकारी है

जिम्मे–वादीनी

चूंकि तनकी संख्या 01 वादीनी साबित करने में सफल रही है,ऐसी सूरत में तनकी संख्या 02 में विस्तार से विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,उक्त तनकी भी वादीनी के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी संख्या 03–आया वादीनी बाद घोषणा,बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवानें एवं स्थाई निधेषाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्व पानें के अधिकारी है

जिम्मे–वादीनी

उक्त तनकी का अब कोई औचित्य नहीं रहा है,क्योकि वादीनी की ओर से बंटवाड़ा करने की इस्तदुआ को विड्रो कर दिया गया है,इस कारण वादपत्र से धारा 53 आर.टी.एक्ट हटा दी गई है।

तनकी संख्या 04–आया वादग्रस्त कृषि भूमियों पैतृक सम्पति नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति है

जिम्मे–प्रतिवादी

इस तनकी कों सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 04 पर [illegible] की ओर से जवाबदावा पेश किया गया,लेकिन साक्ष्य गवाहान [illegible] में प्रतिवादी संख्या 04 अधिवक्ता द्वारा नो फील्डिग करने पर प्रतिवादी के विरूद्व [illegible]रफा कार्यवाही अमल में लाई गई। केवलमात्र जबावदावा में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:56 IST
Reason: SelfAttested

..कर स्वअर्जित है। लेकिन स्वअर्जित होने के संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया। ऐसी सूरत में उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 05</u>–आया वादग्रस्त कृषि भूमियों का जरियें रजिस्टर्ड एग्रीमेंन्ट के 1972 में बंटवाड़ा कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 कर सुपुर्द कर दिया,अब वादीनी बाद लाने की अधिकारीणी नहीं है

जिम्मे–प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या'04 पर था,लेकिन प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये और न ही पैरोकारी की गई। ऐसी सूरत में उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 6</u> दादरसी –उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है।

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि वादीनी अपनी पक्ष में बनी तनकीयात साबित करनें में सफल रही है और वादीनी द्वारा बंटवाड़ा करने की इस्तदुआ को विड्रो कर लिया गया है। ऐसी सूरत में वादीनी वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार धोषित होने की हकदार है।

8.लिहाजा वादीनी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम थोरियों की ढाणी (नागाणा) की खसरा संख्या 295 व 427 कुल रकबा 51 बीधा भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संखय 1 से 04 के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादीनी का 1/5 हिस्सा खातेदारी धोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम बांकियावास कल्ला तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरान संख्या 138,139,141,146,148,9,10,11 कुल रकबा 323–07 बीधा भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा खातेदारी धोषित किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
[illegible]

निर्णय आज दिनांक 07.12.22 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस[illegible] बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा